न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2017 नामान्तरकरण अपील

1. ओमप्रकाश पुत्र मलखान जाति गुर्जर निवासी गावडी तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. देबी पत्नि स्व. मलखान
2. विनोद पुत्री मलखान
3. रसाल पुत्री मलखान
4. ममता पुत्री मलखान
   जाति गुर्जर निवासी गावडी तहसील सिकराय जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय निर्णय दिनांक 01.07.2015 बाबत नामान्तरण संख्या 467 वाके ग्राम लीखली तहसील सिकराय जिला दौसा

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रमोहन जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 लगा. 04 उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांकः 29.11.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम लीखली तहसील सिकराय खैवट खतौनी संख्या नई 98, पुरानी 90 के भूमि खसरा नम्बर 304/146 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 305/146 रकबा 3.14 है0, कुल रकबा 3.18 है0 वाके रामा लीखली तहसील सिकराया जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 04 का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

नम्बर 01 लगायत 04 अपने हक व हिस्सेअनुसार अपील खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट के पिता एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 के पति व रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 लगायत 04 के पिता मलखान का निधन हो चुका है, जब मलखान के निधन के पश्चात जो विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 04 के नाम से भरा गया तो अपीलान्ट का नाम ओम प्रकाश के स्थान पर माधोसिंह सहवन से दर्ज हो गया, जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम ओम प्रकाश है अपीलान्ट के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अंकतालिका से यह स्पष्टतया साबित है। इस प्रकार यह नामान्तकरण संख्या 467 ग्राम लीखली विरासत का भरा गया उसमे इस प्रकार के अंकन की अशुद्वी के कारण अपीलान्ट को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के हितो पर कुठाराघात करते हुये यह नामान्तकरण की सम्पूर्ण कार्यवाह को अंजाम दिया है। अपीलान्ट का वास्तविक नाम ओम प्रकाश है जबकि नामान्तकरण मलखान की विरासत का भरा गया तो अपीलान्ट ओमप्रकाश के स्थान पर माधोसिंह नाम सहवन से राजस्व कर्मचारीयो की गलती से दर्ज कर दिया गया, तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी ओमप्रकाश के स्थान पर माधोसिंह दर्ज हो गया। अपीलान्ट के नाम में अशुद्धी होने के कारण अपीलान्ट को राजकीय बैक ऋण आदि लेने में भारी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। नामान्तरकरण की इस कार्यवाह में ना तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया, ना ही अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना दी गई, जो अपीलान्ट से चोरी छुपे जालसाजी करते हुये इस नामान्तरकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। अतः प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 467 दिनांक 01.07.2015, ग्राम लीखली तहसील सिकराय जिला दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

को निरस्त फरमाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट स. 01 लगा 04 द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 467 दिनांक 01.07.2015 विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण में यदि मृतक मलखान के वारिस ओमप्रकाश के बजाय माधोसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया हैं तो उक्त त्रुटि को सही किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के संलग्न ग्राम पंचायत मरियाडा के द्वारा तैयार सजरा दिनांक 25.07.17 के अनुसार मृतक मलखान के वारिसान देवी पत्नि, ओमप्रकाश पुत्र, विनोद पुत्री, रसाल पुत्री, ममता पुत्री, अकित है। इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेजात की प्रतियों में भी ओमप्रकाश पुत्र मलखान अंकित है। उक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 467 दिनांक 01.7.2015 ग्राम लीखली तहसील सिकराय को निरस्त करते हुए प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मृतक खातेदार के वारिसान के सम्बन्ध में जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित कर नियमोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा